

16x25 cm



ज़िम्मेदारी निभाओ
प्लान बनाओ



अब परिवार नियोजन सेवाओं को पाना हुआ और भी आसान

निजी स्वास्थ्य इकाईयों / नर्सिंग होम द्वारा

परिवार नियोजन सेवाएं

प्रदान करने हेतु

हौसला साझीदारी योजना

इस योजना के अन्तर्गत निजी चिकित्सालयों के लिए सुविधा

- ❖ निजी स्वास्थ्य इकाईयों/नर्सिंग होम का
ऑन लाइन पंजीकरण
- ❖ चिकित्सालयों एवं चिकित्सकों का
इम्पैनेलमेंट
- ❖ नसबन्दी/आई.यू.सी.डी. के लिए
चिकित्सालयों को ऑनलाइन भुगतान की
सुविधा
- ❖ इस योजना के अन्तर्गत निजी चिकित्सा
इकाईयों को महिला या पुरुष नसबन्दी हेतु
रु0 3000/- प्रति केस की दर से प्रदान
किये जाते हैं जिसमें से रु0 1000/-
महिला या पुरुष लाभार्थी के लिए एवं रु0
2000/- प्रति केस चिकित्सालय को
प्रदान किए जाते हैं।

इस योजना के अन्तर्गत^{लाभार्थियों} के लिए सुविधा

- ❖ महिला या पुरुष नसबन्दी
कराने पर रु0 1000/- की
क्षतिपूर्ति धनराशि अकाउंट
पेयी चेक के माध्यम से
लाभार्थी को दी जायेगी।
- ❖ चिन्हित प्राइवेट चिकित्सालयों
में कुशल और अभिप्रमाणित
चिकित्सकों द्वारा नसबन्दी
और आई.यू.सी.डी की
सुविधा।

सामग्री निर्माण एवं डिजाइन: सी.एन.एस.डी.आई., लखनऊ

अधिक जानकारी हेतु देखें: <http://hausalasajheedari.in/>

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश
टोल फ्री नं. 1800-180-5145



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश
टोल फ्री नं. 1800-180-1900